डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन




# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 4504/21-अ/प्रा./2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर 23 अगस्त, 2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. एस. उबोवेजा**, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2001)

# छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम , 2001

**मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, 1980 को और संशोधन करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2001 है.

(2) इस संशोधन का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा 1 को विलोपित किया जाय.

(4) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 की धारा 4(3) में "दो सौ रुपये" के स्थान पर "छै: सौ रुपये" को स्थापित किया जाय.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.